



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127352

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या - 5852 वर्ष 2026

वरुण सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आलोक चन्द्र, करुणेश प्रताप सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 0082 सन् 2022, धारा 147, 148, 149, 323, 307, 308, 352, 395, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना गौरीबाजार, जनपद देवरिया में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उसे उपर्युक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जा सकता है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और एफआईआर में उसका नाम नहीं है और यहां तक कि उसका नाम भी घायलों के बयान में जगह नहीं मिला और एफआईआर 09 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार नामित और 3 अज्ञात व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले मुखबिर के पक्ष पर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप कहा जाता है कि पहले मुखबिर के पक्ष के 03 व्यक्तियों को उनके व्यक्ति पर चोटें आई हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के बाद पुलिस ने वर्ष 2024 में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है और आवेदक के खिलाफ जांच जारी दिखाई गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप प्रस्तुत करने के डेढ़ साल बाद भी आवेदक के खिलाफ जांच अभी भी चल रही है और आवेदक को आशंका है कि उसे वर्तमान प्रकरण में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी जांच एजेंसी या अदालत द्वारा आवश्यक हो, वह पेश होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त गौरव सिंह @ प्रिंस सिंह कट्टा को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 694 सन् 2026 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करता है।

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6. आवेदक के नाम का उल्लेख एफआईआर में नहीं है और यहां तक कि घायल गवाहों के बयान में उसका नाम भी शामिल नहीं है। 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और आवेदक के खिलाफ घटना के साढ़े तीन साल बाद और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के डेढ़ साल बाद भी जांच चल रही है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. यह कहा जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694**, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि अग्रिम जमानत का निर्णय लेते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की वास्तविक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत पर विचार करते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत के लिए एक प्रकरण बनाया जाता है।

9. अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक **वरुण सिंह** को ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं के बंधपत्र, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त के उल्लंघन में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15 जून 2026

ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)